आदेश

वाद 62/25
(Under Sec. 163)
BNSS

उभय पक्ष के प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजस्व संबंधी साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग-अलग केवाला के जरिए वादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष एक दूसरे के केवाला को स्वीकार किए तथा यह भी स्वीकार किए उनके मध्य जमीन के

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	सीमांकन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। अंचल अधिकारी बिरनी को आदेशित किया जाता है कि चूँकि विवाद सीमांकन से समाप्त हो सकता है अतः विधिवत सीमांकन आवेदन तथा विहित शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त उभय पक्ष के मध्य विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20/6/25 SDM Bagodar Sariya. 20/6/25 SDM Bagodar Sariya.	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.09.01 13:25:31 +05:30
Location: 192.168.97.26